भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, धनबाद

दाखिल खारीज अपील सं0–31/2015–16

श्रीमती शारदा सिंह —बनाम्— झारखण्ड सरकार

आदेश

20.7.18 अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा दिनांक 27.04.2015 को आदेश पारित कर दाखिल खारीज वादसं0–2048(II)2014–15 अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त कर वाद की सुनवाई की गयी।

अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के आदेश में कानूनी गड़बड़ी रहने का तथ्य प्रस्तुत कर बताया गया कि इनके द्वारा दलील संख्या–8813 दिनांक 03.09.1988 के माध्यम से की गयी खरीदगी के आधार पर मकान एवं चहारदिवारी का निर्माण कर भूमि पर शांतिपूर्वक दखल किया जा रहा है किन्तु आवेदित भूमि मूलतः गैरआवाद खाता से संबंधित रहने, विक्रेता का जमाबंदी एवं प्रथम हस्तानांतरण स्पष्ट नहीं रहने का उल्लेख कर इनका आवेदन खारीज कर दिया गया है जबकि आवेदित भूमि का सर्वप्रथम हस्तानांतरण निबंधित दलील संख्या–4034, दिनांक–12.12.1928 के माध्यम से होकर अनुवर्त्ती हस्तानांतरण वर्ष 1966, 1969 एवं 1972 में होते हुए अपीलार्थी को भूमि प्राप्त रहने तथा मूल क्रेता के नाम विधिवत ढंग से जमाबंदी भी कायम रहने का उल्लेख किया गया एवं बताया गया कि पूर्ववर्ती जमाबंदी के संबंध में आवश्यक जाँच पड़ताल किय वगैर इनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है अतएव उक्त आदेश अपास्त करते हुए अपना अपील स्वीकृत करने का अनुरोध अपीलार्थी की ओर से किया गया तथा वर्ष 1928 के भूमि प्राप्तकर्त्ता का जमाबंदी सं0–153 कायम रहने के साथ ही उसके पश्चात 3/04 अनुवर्त्ती जमाबंदी सं0–514, 2274, 3636 एवं 4002 कायम रहने सबंधी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा पूर्व कायम जमाबंदी के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत करने एवं जमाबंदी कायम किये जाने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रहने का उल्लेख करते हुए समय–समय पर गैरआवाद खाता के जमाबंदी संबंधी निर्गत बाध्यकारी सरकारी मार्गदर्शन एवं उद्धरण की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 12:55:46 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner